प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 24.10.2025

थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे चोरी की 01 मोटरसाइकिल , 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद।

आज दिनांक 24.10.2025 को थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्तगण 1. सन्नू उर्फ चांद पुत्र फैजल निवासी मौ0 झुलियान ग्राम नाहल थाना मसूरी गाजियबाद उम्र करीब 35 वर्ष 2. फुरकान उर्फ मुरकानी पुत्र भुरवा निवासी मौ0 सुभानको ग्राम नाहल थाना मसूरी गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष को चित्तौडा पुल से ग्राम नाहल की तरफ जाने वाली गंगनहर पटरी से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से दिल्ली से चोरी की गयी 01 मोटरसाइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुए। उक्त बरामदगी के आधार पर थाना मसूरी पर धारा 317(2) बीएनएस व 3/25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण ने पूछताछ के दौरान बताया कि यह मोटरसाइकिल हमने करीब डेढ महीने पहले शराब के ठेके के पास नन्दनगरी दिल्ली से चोरी की थी। आज हम इस मोटरसाइकिल को बेचने की फिराक में जा रहे थे कि पुलिस चेकिंग में पकडे गये। अभियुक्त फुरकान ने बताया कि मैं यह अवैध तमंचा व कारतूस लोगों में रौब दिखाने के लिए अपने पास रखता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. सन्नू उर्फ चांद पुत्र फैजल निवासी मौ0 झुलियान ग्राम नाहल थाना मसूरी उम्र करीब 35 वर्ष।
2. फुरकान उर्फ मुरकानी पुत्र भुरवा निवासी मौ0 सुभानको ग्राम नाहल मसूरी उम्र करीब 28 वर्ष

बरामदगी का विवरण –

कब्जे चोरी की 01 मोटरसाइकिल , 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

उक्त मोटरसाइकिल बरामदगी के संबंध में दिल्ली में चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्त सन्नू उर्फ चांद के विरुद्ध थाना मसूरी पर चोरी का वाहन बरामदगी के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा अभियुक्त फुरकान के विरुद्ध थाना मसूरी पर चोरी का वाहन व अवैध असलाह बरामदगी के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मसूरी पुलिस टीम।

थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 17.10.2025 को थाना मोदीनगर पर वादिया द्वारा तहरीर दी गयी कि अभियुक्त समीर पुत्र सुनील द्वारा वादिया की नाबालिग पुत्री उम्र करीब 15 वर्ष को बहला फुसलाकर ले जाना व शिकायत करने पर गाली गलौच व धमकी देना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मोदीनगर पर तत्काल धारा 137(2)/352/351(3) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अपहर्ता की बरामदगी व अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 24.10.2025 को थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त समीर पुत्र सुनील कुमार निवासी गली नं0 12 तिबडा रोड भूपेन्द्रपुरी थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष को थाना मोदीनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया तथा अपहर्ता को सकुशल बरामद किया गया । अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मेरी वादिया की पुत्री से कई महीनों से बात होती थी। मैं वादिया की पुत्री को उसको गावं के बाहर से बुलाकर अपने साथ लेकर चला गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

समीर पुत्र सुनील कुमार निवासी गली नं0 12 तिबडा रोड भूपेन्द्रपुरी थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष ।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना मोदीनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम–

थाना मोदीनगर पुलिस टीम।

थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा पोक्सो एक्ट के अभियोग में बाल अपचारी को अभिरक्षा में लिया गया।

दिनांक 21.10.2025 को वादी द्वारा थाना मुरादनगर पर नामजद तहरीर दी गयी कि मेरे नाबालिग पुत्र उम्र करीब 07 वर्ष के साथ मारपीट कर आप्राकृतिक कृत्य करना व जान से मारने की धमकी देना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मुरादनगर पर तत्काल धारा 115(2)/351(3) बीएनएस व 5एम/6 पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अग्रिम कार्यवाही हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 24.10.2025 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में नामजद बाल अपचारी उम्र करीब 16 वर्ष को अभिरक्षा में लिया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

बाल अपचारी ने पूछताछ करने पर बताया कि मेरे पडौसी के घर में एक रिश्तेदार का लडका आया हुआ था मैंने मौका पाकर उसके साथ मारपीट कर गलत काम किया व किसी को इस घटना के बारे में बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

बाल अपचारी के विरुद्ध थाना मुरादनगर पर उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

कार्यवाही करने वाली टीम –

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना कारित करने वाले 03 अभियुक्तगण मय चोरी के माल आभूषण व चोरी में प्रयोग करने वाले उपकरण तथा 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस सहित गिरफ्तार।

दिनांक 22.10.2025 को थाना मसूरी पर वादी आरिफ द्वारा अपने घर से सोने व अन्य धातु के आभूषण,नगदी तथा अन्य सामान चोरी करने के सम्बन्ध में तहरीर दी गयी। प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल थाना मसूरी पर धारा 305/331(4) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण व अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया।

तत्पश्चात थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही कर उपरोक्त घटना का सफल अनावरण करते हुये घटना कारित करने वाले 03 अभियुक्तों 1. मुकर्रम उर्फ मुकरी पुत्र हामिद निवासी धोबी वाली गली रफीकाबाद थाना मसूरी गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष 2. इमरान पुत्र शहीद निवासी धोबी वाली गली रफीकाबाद थाना मसूरी गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष 3. मारूफ पुत्र हारून निवासी मयूर विहार थाना मसूरी गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष थाना मसूरी गाजियाबाद को दिनांक 23.10.2025 को डीएमई अन्डर पास कुशलिया मसूरी से समय 22.30 बजे चोरी की घटना से सम्बन्धित माल आभूषण व 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस व घटना में प्रयुक्त उपकरण सहित गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर घटना को स्वीकार करते हुये बताया कि हम तीनों ने अपने साथी आरिफ अली पुत्र कुदरत अली निवासी आजमपुर दैहपा जिला हापुड के साथ मिलकर रफीकाबाद में 21/22.10.25 की रात्रि में आरिफ निवासी रफीकाबाद के घर में चोरी की थी हम चारो एक दूसरे को पहले से जानते हैं। मुकर्रम उर्फ मुकरी ने बताया कि मैं आरिफ पुत्र खुर्शीद अहमद के घर के पड़ोस में रहता हूँ तथा ओला गाडी चलाने का काम करता हूँ तथा चार पांच मकान छोड़कर मारूफ पुत्र हारून रहता है जो बैल्डिंग का काम करता है इमरान पुत्र शहीद निवासी रफीकाबाद ने बताया कि मैं वर्तमान में शैटरिंग का काम करता हूँ तथा पूर्व में प्लम्बर का काम करता था जब मैं प्लंबर का काम करता था तो मैंने आरिफ पुत्र खुर्शीद के घर में प्लम्बर का काम किया था इसीलिये मुझे उसके घर के अन्दर की सभी जगह की जानकारी थी। हम लोगो पर पैसे की तंगी चल रही थी तो मुकर्रम उर्फ मुकरी ने बताया कि मेरे पड़ोसी आरिफ का घर खाली है सभी लोग बाहर गये हुये हैं हम उस घर में चोरी करेंगे तो कुछ न कुछ सामान मिल जायेगा जिससे हम लोगो का खर्चा चल जायेगा इस पर हम चारों लोगो ने 21/22.10.25 की रात्री में स्टेशन के पास करीब 10 बजे के आसपास आकर योजना बनाकर रात्रि में करीब 02 बजे हम लोग आरिफ पुत्र खुर्शीद अहमद के घर चोरी करने गये। उसकी छत पर चढकर उसकी छत में बने लोहे के जाल को काटकर घर के अन्दर चले गये थे, जाल को काटने के लिये आरी आदि सामान मारूफ लेकर आया था उसके बाद जाल काटकर उसके घर में घुसकर हम लोगो ने जेवरात व घर में रखी एक गुल्लक फाडकर कुछ पैसे चोरी किये थे और हम लोग वहाँ से चोरी करके भाग गये थे उसके बाद हम चारो ने चोरी के जेवरात को रफीकाबाद रेलवे लाइन के किनारे झाडियो में छिपाकर रख दिया था कि जब मामला शांत पड जायेगा तो निकालकर बेंच देगे। आज आप लोगो ने हम लोगो को पकड लिया है और जो हम लोगो से जेवरात बरामद हुये हैं वह हमने वादी आरिफ के घर से चुराए थे और जो आरी ,पेचकस व पलास बरामद हुए है इनसे हमने आरिफ के घर का जाल काटा था व लॉक तोड़े थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता–

1.मुकर्रम उर्फ मुकरी पुत्र हामिद निवासी धोबी वाली गली रफीकाबाद थाना मसूरी गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष
2. इमरान पुत्र शहीद निवासी धोबी वाली गली रफीकाबाद थाना मसूरी गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष
3.मारूफ पुत्र हारून निवासी मयूर विहार थाना मसूरी गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष

वांछित अभियुक्त का नाम व पता–

आरिफ पुत्र कुदरत निवासी देहपा थाना पिलखुवा जनपद हापुड।

बरामदगी का विवरण –

1. 08 पीली धातु के कडे
2.01 चेन पीली धातु मय पेन्डिल
3. 02 कानों के टाप्स पीली धातु
4.05 अंगूठी पीली धातु
5. 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस
6. 01 अदद लोहे की आरी ,
7.01 पेंचकस व 01 प्लास बरामद।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना मसूरी पर चोरी/बरामदगी के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है तथा अभियुक्त इमरान के विरूद्ध जुआ अधिनियम का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली टीम –

थाना मसूरी पुलिस टीम।

थाना अंकुर विहार पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार तथा घटना में प्रयुक्त 01 अवैध पिस्टल मय 01 जिन्दा कारतूस बरामद।

दिनांक 21.10.2025 को थाना अंकुर विहार पर वादी श्री आदिल पुत्र साहिद निवासी बुद्धनगर गली न0 2 सी ब्लॉक थाना अंकुर विहार जनपद गजियाबाद द्वारा तहरीर दी गई कि दिनांक 20.10.2025 को मेरा भाई इरशाद उर्फ नोनू उम्र 19 वर्ष अपने दोस्त गोलू पुत्र वीरपाल उर्फ वीरु निवासी बुद्धनगर नसबन्दी कॉलोनी के साथ शाम के समय दीपावली की पार्टी में जो गोलू के पुराने खाली पडे मकान में हो रही थी, गया हुआ था। वहाँ पर गोलू ने मेरे भाई इरशाद के पेट में गोली मार दी, जिससे मेरा भाई वहाँ से घर के लिए भागा तो रास्ते में गिर गया था। जिसे मैंने उपचार कराने के लिए जीटीबी अस्पताल दिल्ली में भर्ती कराया था और उसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अंकुर विहार पर तत्काल धारा 103(1) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा नामित अभियुक्त की तलाश हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया। दौराने विवेचनात्मक कार्यवाही व साक्ष्य संकलन से संदीप शर्मा पुत्र सतीश शर्मा निवासी निकट मंशा मन्दिर, विकास नगर थाना अंकुर विहार गाजियाबाद का नाम प्रकाश में आया तथा धारा 3/25/27 आर्मस एक्ट की वृद्धि की गयी।

तत्पश्चात आज दिनांक 24.10.2025 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त घटना में वांछित अभियुक्तगण 1. गोलू उर्फ तेजवीर पुत्र वीरपाल उर्फ वीरु निवासी बुद्धनगर, नसबन्दी कॉलोनी थाना अंकुर विहार गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष 2. संदीप शर्मा पुत्र सतीश शर्मा निवासी निकट मंशा मन्दिर विकास नगर थाना अंकुर विहार गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष को थाना क्षेत्र अंकुर विहार गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त संदीप शर्मा उपरोक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अवैध पिस्टल 0.32 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 0.32 बोर बरामद की गयी। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण से पूछताछ की गई तो अभियुक्तगण उपरोक्त ने बताया कि हम दोनो आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं तथा हमारे घर भी आस पास हैं। हम दोनों तथा हमारे और अन्य साथी आपस में मिलकर पार्टी करते रहते हैं। हम यह पार्टी गोलू के पुराने बन्द पडे खण्डरनुमा मकान में करते हैं क्योंकि उस मकान में कोई परिवार नही रहता है और न ही बाहर का कोई व्यक्ति आता जाता है। जिससे हमें पार्टी करने में कोई व्यवधान नही होता है। दिनांक 20.10.2025 को

दीपावली की रात में हम दोनों तथा हमारे अन्य साथी समीर उर्फ छोटे पुत्र दिलशाद निवासी एक मीनार मस्जिद, गिरी मार्केट थाना अंकुर विहार गाजियाबाद, सूरज पुत्र हरिशंकर निवासी पंकज का किराये का मकान, ग्राम सादुल्लाबाद थाना अंकुर विहार गाजियाबाद, अभिषेक पुत्र किशनलाल, यूसुफ पुत्र असलम तथा मृतक इरसाद उर्फ नोनू पुत्र मौ0 साहिद बुद्धनगर में स्थित गोलू के एक बन्द पडे मकान में पार्टी कर रहे थे। यह पार्टी मेरे (गोलू) द्वारा दी गयी थी तथा पार्टी के लिए मैंने मीट व रोटियां अपने साथी यूसुफ के घर पर बनवाकर अपने पार्टी वाले स्थान पर मंगवायी थी। पार्टी में मैं (संदीप शर्मा) अपनी एक अवैध पिस्टल भी साथ लेकर आया था जिसे मैं अपने साथियों को दिखा रहा था। इसी दौरान गोलू ने कहा कि मैं भी इस पिस्टल से फायर करके देखना चाहता हूँ। जब मैंने मना किया तो गोलू पिस्टल को मेरे हाथ से छीनने लगा था। गोलू ने छीनाझपटी में पिस्टल मुझसे ले ली थी तथा गोलू के हाथ से मेरी पिस्टल से फायर हो गया था जिससे वहीं पर कुछ कदम दूरी पर अन्दर ही खडे इरसाद पुत्र मौ0 साहिद के पेट में गोली लग गयी थी। उसके बाद हम सभी लोग घबराकर वहां से अपने अपने घर चले गये थे और इरसाद भी अपने पेट पर हाथ रखकर अपने घर चला गया था। बाद में हमें पता चला कि इरसाद को उसके भाई आदिल ने इलाज के लिए जीटीबी अस्पताल दिल्ली में भर्ती कराया था जहां पर इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गयी थी। उसकी मृत्यु की बात सुनकर हम दोनों घबरा गये थे और घर से भाग गये थे। पिस्टल को भी मै (संदीप शर्मा) अपने साथ लेकर चला गया था। जो पिस्टल आज मुझसे (संदीप शर्मा) बरामद हुई है यह वही पिस्टल है जिससे उस दिन खींचातानी में गोलू से गोली चल गयी थी और गोली इरसाद के पेट में लग गयी थी। गोलू ने भी पिस्टल को देखकर तस्दीक किया कि यह वही पिस्टल है जिससे उस दिन खींचातानी में मेरे हाथ से गोली चल गयी थी और गोली इरसाद के पेट में लग गयी थी। हमसे गलती हो गयी है, हमने जानबूझकर इरसाद को गोली नही मारी है और न ही हमारा कोई ऐसा इरादा था, क्योंकि हम आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे और हमारी आपस में कोई दुश्मनी भी नही थी। खिंचातानी में दुर्घटनावश गोली चल गयी और गोली इरसाद के पेट में लग गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. गोलू उर्फ तेजवीर पुत्र वीरपाल उर्फ वीरु नि0 बुद्धनगर, नसबन्दी कॉलोनी थाना अंकुर विहार गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष।
2. संदीप शर्मा पुत्र सतीश शर्मा निवासी निकट मंशा मन्दिर विकास नगर थाना अंकुर विहार गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तगण के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

घटना में प्रयुक्त एक अवैध पिस्टल 0.32 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 0.32 बोर बरामद।

गिरफ्तार/ बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम।

वी0वी0आई0पी0 आगमन के अवसर पर
यातायात डायवर्जन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि दिनांक **26-10-2025** को गाजियाबाद में थाना क्षेत्र इंदिरापुरम में **VVIP** कार्यक्रम प्रस्तावित है। **VVIP** कार्यक्रम में आगमन करने वाले विशिष्ट महानुभावों आगमन एवं प्रस्थान के अवसर पर दिनांक **26-10-2025** को प्रातः **07:00** बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक भारी वाणिज्यिक वाहनों का आवागमन निम्न मार्गों पर प्रतिबंधित करते हुए उपरोक्त मार्गों पर निम्न प्रकार से डायवर्ट किया जायेगा:-

- भोपुरा/तुलसी निकेतन से हिण्डन एयरफोर्स गोलचक्कर की ओर सभी प्रकार के भारी वाणिज्यिक वाहनों का परिचालन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। उपरोक्त सभी वाहन करनगेट गोलचक्कर से बीकानेर गोलचक्कर का प्रयोग कर मोहननगर होते हुए अपने गंतव्य को जायेंगे।
- **CISF** टी-पॉइंट से वसुंधरा की ओर सभी प्रकार के भारी वाणिज्यिक वाहनों का परिचालन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। उपरोक्त सभी वाहन **CISF** टी-पॉइंट से **NH -9** का प्रयोग कर यू**0**पी**0** गेट होते हुए अपने गंतव्य को जायेंगे।
- वसुंधरा से **CISF** टी-पॉइंट की ओर सभी प्रकार के भारी वाणिज्यिक वाहनों का परिचालन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। उपरोक्त सभी वाहन वसुंधरा से डाबर होते हुए यू**0**पी**0** से **NH -9** का प्रयोग कर अपने गंतव्य को जायेंगे।
- उपरोक्त **VVIP** कार्यक्रम के दृष्टिगत **CISF** टी-पॉइंट से **वसुंधरा के मध्य** हल्के निजी वाहनों को भी आवश्यकतानुसार डायवर्ट किया जायेगा।

अतएव सभी से अनुरोध है, कि उपरोक्त डायवर्जन प्लान का पालन करें, एवं अपने गंतव्य जाने के लिए वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें।